रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99 REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2003/चैत्र 8, 1925
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2003/CHAITRA 8, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग)
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2003

का. नि. आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना) आशुलिपिक श्रेणी-1 पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, (डी जी क्यू ए), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), आशुलिपिक श्रेणी-1, समूह 'ख' अराजपत्रित भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों पर भर्ती की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

का. नि. आ. 51. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम में कहा गया है :—

(क) नियम 6 में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) खुले विज्ञापन/प्रतिभा खोज योजना के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा"।

(ख) नियम 8 के उप नियम (2) के खण्ड (क) में उप खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) आन्तरिक छानबीन, ग्रेड में पिछले 5 वर्ष से अनाधिक की गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होगी। ऐसे वैज्ञानिक "ख", "ग" और "घ" जो औसतन 70% से कम अंक प्राप्त करेंगे और वैज्ञानिक "ड०" जो औसतन 75% से कम अंक प्राप्त करेंगे मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।";

(ग) नियम 8, के उप नियम (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि प्रतिभा खोज योजना के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।"

(घ) अनुसूची 1(क) के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 1 क"

[(नियम 8 (2) देखें)]

वैज्ञानिक "ख" से वैज्ञानिक "ड०" तक की गोपनीय निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छानबीन समिति—

अपर सचिव (अनुसंधान और विकास) अथवा मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास अथवा कार्मिक प्रमुख	—अध्यक्ष
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किसी प्रयोगशाला अथवा स्थापनों अथवा मुख्यालयों से तीन निदेशक	—सदस्य
कार्मिक निदेशक	—सदस्य
निदेशक, मानव संसाधन और विकास	—सदस्य

टिप्पण 1 : समिति के अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति आन्तरिक छानबीन समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएगी।

टिप्पणी 2 : निदेशक के स्थान पर सलाहकार अथवा वैज्ञानिक "छ" नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

टिप्पणी 3 : यदि अपर सचिव अथवा मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास द्वारा आन्तरिक छानबीन समिति की अध्यक्षता की जाती है, तो कार्मिक प्रमुख एक सदस्य होगा।

(ड०) अनुसूची 1 ग में, मद (ii) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"(ii) दो आन्तरिक सदस्य	:	महानिदेशक, अनुसंधान और विकास द्वारा सेवारत अथवा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के ज्येष्ठ वैज्ञानिकों में से नाम निर्दिष्ट किए जाएं।"

(च) अनुसूची 1 घ में विद्यमान टिप्पण को 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2 वही समिति विशिष्ट वैज्ञानिकों का ग्रेड प्रदान करने की भी सिफारिश करेगी।"

(छ) अनुसूची 1 ड० में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खुले विज्ञापन/प्रतिभा खोज स्कीम के माध्यम से रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भर्ती बोर्ड।"

(ज) अनुसूची II में, क्रम सं० 1 से 6 में और क्रम सं० 7 के सामने "पदों की संख्या" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

761GI/03—15

Attested.

3/4/2007

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

"7233**" और

"22" (वैज्ञानिक "छ" के पदों की संख्या का 10%)"

(ञ) अनुसूची III में, क्रम सं० 1 से 6 तक, वैज्ञानिक "ख", "ग", "घ", "ङ", "च", और "छ", के पदों के लिए स्तंभ 3 में "आवश्यक" शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

आवश्यक

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समतुल्य;

(ट) अनुसूची VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी :—

अनुसूची VII

[नियम 8 (3) देखें]

प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों और अन्य मान्यताप्राप्त प्रमुख संस्थानों/विश्व विद्यालयों से विशिष्ट विषयों में प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिभा खोज स्कीम

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रतिभा खोज स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिक "ख" के चयन के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

(क) प्रतिभा खोज स्कीम के अन्तर्गत कैम्पस चयन, प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों और अन्य मान्यताप्राप्त प्रमुख संस्थानों/विश्वविद्यालयों से, संगठन की विद्याशाखावार अपेक्षा के आधार पर जैसा भी महानिदेशक, अनुसंधान और विकास द्वारा विनिश्चय, किया जाए/किए जाएंगे।

(ख) वैज्ञानिक "ख" की कैम्पस भर्ती, विशिष्ट विद्याशाखा में इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों में से की जाएगी।

(ग) कैम्पस के लिए पात्र अभ्यर्थी वैज्ञानिक "ख" में सीधी भर्ती के लिए उस वर्ष के 01 अगस्त को आयु सीमा के भीतर होंगे जिस वर्ष उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी।

(घ) कैम्पस चयन की पात्रता अंतिम सेमेस्टर तक/उस वर्ष जिसका परिणाम घोषित किया गया है, कम से कम प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य होगी। तथापि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए पात्रता का मापदण्ड बढ़ाया जा सकता है।

(च) चयन, साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

(छ) इस स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिक "ख" के रूप में अभ्यर्थियों का चयन अनंतिम होगा इस शर्त के अध्यधीन कि अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य श्रेणी में पूरा कर लिया हो।

(ज) पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उपर्युक्त खण्ड (च) के अनुसार अभ्यर्थी, सीधी भर्ती के मामले में सभी अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए नियम 6 (ii) के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक "ख" के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

[सं० डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/सी/पी/01]

रोजी शर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। मूल नियम का का.नि.आ. 307 तारीख 10 अक्तूबर, 1980 का.नि.आ. 196 तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 तारीख 05 मई, 1983, का.नि.आ. 176 तारीख 07 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228 तारीख 06 जून, 1986, का.नि.आ. 158 तारीख 04 मई, 1987, का.नि.आ. 328 तारीख 25 सितम्बर, 1990, का.नि.आ. 11 तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 05 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146 तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125 तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157 तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34 तारीख 08 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33 तारीख 02 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100 तारीख 30 जुलाई, 1998 और का.नि.आ. 119 तारीख 09 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित किए गए।

Attested.

[signature] 7.7.07

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27 March, 2003

S. R. O. 51.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (herein after referred to as the said rules),—

   (a) in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

   "(2) by direct recruitment through open advertisement/Talent Search Scheme"

   (b) in rule 8 sub-rule (2), in clause (a), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

   " (i) Internal screening shall be based on not more than last 5 years confidential appraisal reports in the grade. Scientists 'B', 'C' & 'D', securing less than 70% marks on an average and Scientists 'E' securing less than an average of 75% marks shall not be eligible for assessment.";

   (c) in rule 8 sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided also that selection by direct recruitment through Talent Search Scheme shall be as specified in the Schedule VII";

   (D) for Schedule 1A, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE 1 A

[See Rule 8(2)]

The Internal Screening Committee to review the confidential performance appraisal reports of Scientist 'B' to Scientist 'E'—

Additional Secretary (Research and Development) or Chief Controller Research and Development or Chief of Personnel	—Chairperson
Three Directors from any Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments or Headquarters	—Members
Director of Personnel	—Member
Director, Human Resource and Development	—Member

Note 1 : The absence of any member of the Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Internal Screening Committee.

Note 2 : Adviser or Scientist 'G' can be nominated in place of Director.

Note 3 : If the Internal Screening Committee is chaired by Additional Secretary or Chief Controller Research and Development, Chief of Personnel shall be one of the members";

(e) in Schedule 1C for item (ii) and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(ii) Two Core members.—To be nominated by the Director General Research & Development from amongst serving or recently retired Senior DRDS Scientists.";

(f) in the Schedule 1D, the existing note shall be numbered as 1 and after the note so numbered, the following note shall be inserted, namely :—

"2 The same Committee will also recommend conferring the grade of Distinghished Scientist."

(g) in the Schedule 1E, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"The Recruitment Board for assessing suitability of candidates for recruitment to Defence Research and Development Service through open advertisement/Talent Search Scheme".

(h) in the Schedule II, against Serial No. 1 to 6, and serial No. 7, under the heading "No. of Posts", for the entries the following entries shall be substituted respectively, namely :—

"7233**" and

"22 [10% of the strength of Scientist (G)]";

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication

(j) in the Schedule III, from Srl. No. 1 to 6 for the posts of Scientists 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', and 'G', the existing entries at Col 3 under heading 'Essential' shall be substituted by the following :—

Essential

At least Fitst class Master's degree in Science subjects, Mathematics or Psychology or First class Bachelor's Degree in Engineering, or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent;

(k) After Schedule VI, the following Schedule shall be added :—

"SCHEDULE VII

[See rule 8(3)]

Talent Search Scheme to attract bright young Scientists in specified disciplines from the Institutes of technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other recognized Premier Institutions/Universities

The terms and conditions of selection of Scientists 'B' under the Talent Search Scheme of Defence Research & Development Organisation shall be as follows :—

(a) The campus selections under talent Search Scheme shall be made from the Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other recognized Premier Institutions/Universities as decided by DGR&D depending on the discipline-wise requirement of the Organisation.

(b) Campus recruitment of Scientists 'B' shall be carried out from amongst the students of final year of the Engineering Degree courses in specific disciplines.

(c) The candidates eligible for Campus Selection shall be within the age limit prescribed for direct recruitment of Scientist 'B' as on 1st August of the year in which their degree will be completed.

(d) The eligibility for Campus Selection will be at least first class or equivalent upto the last semester/year for which results have been declared. However, in order to restrict the number of students to be interviewed the eligibility criteria may be raised.

(e) Selection shall be made on the basis of merit through interview or written test and interview.

(f) The selection of the candidates as Scientist 'B' Under this scheme will be provisional subject to the condition that the candidates successfully complete the course in first Class or equivalent in first attempt.

(g) On successful completion of the course. as per clause (f) above, the candidates shall be appointed as Scientists 'B' in Defence Research & Development Organisation under Rule 6(ii) subject to meeting all other requirements as in the case of direct recruitees."

[NO. DHRD/76205/DRDS/C/P/01]

ROSY SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note :—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July 1985, S.R.O. 186 dated 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74 dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146 dated the 4th July 1991, S.R.O. 74 dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125 dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157 dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34 dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33 dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100 dated 30th July, 1998 and S.R.O. 119 dated 9th July, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Attested

Asstt Controller Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54